आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

राकेश कुमार जैन जे. के समक्ष

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड-----याचिकाकर्ता

बनाम

कैविटे बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स इंक. और एक अन्य-----प्रतिवादी

ए आर बी-आई सी ए नंबर 1 **आफ** 2018

17 अप्रैल 2018

ए. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 9 - बैंक गारंटी का नकदीकरण और वसूली, अंतरिम रोक - सामान्य नियम के रूप में, निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, लेकिन सामान्य नियम के चार अपवाद हैं - न्यायालय आह्वान पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा दे सकता है। बैंक गारंटी यदि: (i) बैंक गारंटी के संबंध में गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी हुई है जो ऐसी गारंटी की नींव को ख़राब कर देगी और लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी का लाभ उठाना चाहता है; (ii) आवेदक, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला स्थापित करता है; (iii) आवेदक इस प्रकार की असाधारण या विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम है जो अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा; और (iv) बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और गारंटी की शर्तों के तहत उसे लागू करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है।

यह माना गया कि न्यायालय बैंक गारंटी के आह्वान पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा दे सकता है यदि; (i) बैंक गारंटी के संबंध में गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी हुई है जो ऐसी गारंटी की नींव को ख़राब कर देगी और लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी का लाभ उठाना चाहता है; (ii) आवेदक, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला स्थापित करता है; (iii) आवेदक इस प्रकार की असाधारण या विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम है जो अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा; और (iv) बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और गारंटी की शर्तों के तहत उसे लागू करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है।

(पैरा 27)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान, शंभू शरण, सौरव कपूर, अमनदीप और दिव्या कृष्णन ने सहायता की।

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, कपिल अरोड़ा द्वारा सहायता प्रदान की गई। प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए वकील।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सुमीत गोयल, अधिवक्ता, मानव बजाज और वर्षा गुप्ता, अधिवक्ता।

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के नकदीकरण और वसूली के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 से अंतरिम रोक के लिए दायर की गई है।

(2) याचिकाकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यमुनानगर, हरियाणा में है, और भारी इंजीनियरिंग, उपकरण निर्माण और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। प्रतिवादी नंबर 1 फिलीपींस स्थित कंपनी है और प्रतिवादी नंबर 2 वह बैंक है जिसने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच हुए अनुबंध के अनुपालन में समय-समय पर विभिन्न गारंटी जारी की है।

(3) प्रतिवादी नंबर 1 ने विकास, डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, दोषों के सुधार के लिए याचिकाकर्ता के साथ एक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध (इसके बाद "ईपीसी अनुबंध" के रूप में संदर्भित) में प्रवेश किया। , कुछ बेड़े-व्यापी दोषों का सुधार, सिटियो लोबो-लोबो में स्थित एक पूरी तरह से एकीकृत चीनी मिल, जैव-इथेनॉल डिस्टिलरी और सह-उत्पादन सुविधा (इसके बाद "सुविधा" के रूप में संदर्भित) का संचालन, रखरखाव, मरम्मत, नवीनीकरण और संशोधन , बरंगुए काउंगन, मैगलन नगर पालिका, कैविटे, फिलीपींस। 16.06.2015 को, ईपीसी अनुबंध को दो और अनुबंधों में विभाजित किया गया, अर्थात्, ऑफशोर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और ऑनशोर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। याचिकाकर्ता सुविधा का हिस्सा बनने वाले ऑफशोर कार्यों को करने के लिए ऑफशोर आपूर्ति अनुबंध के तहत ऑफशोर ठेकेदार के रूप में कार्यरत था और एक फिलीपींस स्थित कंपनी थी जिसे "जुंटी फिलीपींस इंक" कहा जाता था। (इसके बाद "जुंटी" के रूप में संदर्भित) को सुविधा का हिस्सा बनने वाले तटवर्ती कार्यों को करने के लिए तटवर्ती आपूर्ति अनुबंध के तहत तटवर्ती ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। अपतटीय आपूर्ति अनुबंध और तटवर्ती आपूर्ति अनुबंध दोनों को सामूहिक रूप से समन्वित अनुबंध और अपतटीय ठेकेदार

कहा जाता था और तटवर्ती ठेकेदार को समन्वित ठेकेदार कहा जाता था। 16.06.2015 को ही याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नंबर 1 और जुंटी के बीच एक समन्वय समझौता निष्पादित किया गया था।

(4) उपरोक्त समझौतों/अनुबंधों के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को अग्रिम भुगतान गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान की। परिभाषाओं और व्याख्याओं से संबंधित परिशिष्ट-। में, अग्रिम भुगतान गारंटी को "निर्दिष्ट फॉर्म में खंड 12.1 से 12.5 के अनुसार अग्रिम भुगतान के संबंध में ठेकेदार की ओर से मालिक को जारी की गई अग्रिम भुगतान गारंटी" के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची 12 में या अन्यथा अनुमोदित फॉर्म में" और प्रदर्शन बैंक गारंटी को "अनुसूची 12 में निर्दिष्ट फॉर्म में या अन्यथा इस अनुबंध के तहत मालिक को ठेकेदार की ओर से जारी की गई एक प्रदर्शन बैंक गारंटी या प्रदर्शन बैंक गारंटी" के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वीकृत प्रपत्र”

(5) इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि "सुरक्षा" शब्द को "सभी या कुछ के संबंध में मालिक के पक्ष में ठेकेदार द्वारा खरीदी या प्रदान की गई गारंटी और अन्य सुरक्षा का उपक्रम करने वाला कोई भी बैंक" के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में ठेकेदार के दायित्व (और प्रदर्शन बैंक गारंटी शामिल हैं)"। सुरक्षा को अपतटीय आपूर्ति अनुबंध के खंड 12 में परिभाषित किया गया है, जिसमें अग्रिम भुगतान गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी दोनों को खंड 12.1 से 12.9 में परिभाषित किया गया है। ऑनशोर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और ऑफशोर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत अग्रिम भुगतान गारंटी और प्रदर्शन बैंक गारंटी याचिकाकर्ता द्वारा दो अनुबंधों के लिए अनुबंध मूल्य के 10% की सीमा तक दी गई थी और खंड 12.3 के संदर्भ में, अग्रिम भुगतान किया जाना था। अग्रिम भुगतान पूर्ण रूप से चुकाए जाने तक प्रत्येक भुगतान मील के पत्थर से 10% कटौती के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता प्रारंभ तिथि पर तटवर्ती और अपतटीय कार्यों को शुरू करने और कार्यक्रम, मील के पत्थर अनुसूची और समन्वित अनुबंधों के अनुसार उक्त कार्य करने के लिए बाध्य था। वाणिज्यिक संचालन के लिए लक्ष्य तिथि 26.11.2016 निर्धारित की गई थी।

(6) याचिकाकर्ता ने ऑफशोर और ऑनशोर अनुबंधों के तहत विभिन्न गारंटी प्रस्तुत की है, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

अपतटीय अनुबंध

अपतटीय अनुबंध

बीजी नं.	बीजी की प्रकृति	नई समाप्ति तिथि	किनारा	बीजी राशि	मुद्रा	बीजी कमी	संतुलन
282238549 पर जाएं	अग्रिम भुगतान गारंटी (10%)	30.4.2018	एएनजेड	4,702,500	अमेरिकी डॉलर$	2,275,403.23	2,427,096.77
282218549 पर जाएं	निष्पादन बैंक गारंटी (12.5%)	30.4.2018	एएनजेड	5,878,125	अमेरिकी डॉलर$	एन.ए.	5,878,125.00
237788549 पर जाएं	आगे अग्रिम भुगतान की गारंटी	31.3.2018	एएनजेड	6,000,000	अमेरिकी डॉलर$	एन.ए.	6,000,000

बीजी नं.	बीजी की प्रकृति	नई समाप्ति तिथि	किनारा	बीजी राशि	मुद्रा	बीजी कमी	संतुलन
282228549 पर जाएं	अग्रिम भुगतान गारंटी (10%)	30.4.2018	एएनजेड	62,356,200	पीएचपी	31,379,249.74	30,976,950.26
282248549 पर जाएं	निष्पादन बैंक गारंटी (12.5%)	30.11.2018	एएनजेड	77,945,250	पीएचपी	एन.ए.	77,945,250.00
237798549 पर जाएं	तटवर्ती अग्रिम अग्रिम भुगतान गारंटी	30.04.2018	एएनजेड	4,000,000	अमेरिकी डॉलर$	एन.ए.	4,000,000.00

(7) याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत अग्रिम भुगतान गारंटी में यह प्रदान किया गया था कि "हम, एएनजेड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड, आपके साथ अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचन देते हैं कि जब भी आप हमें लिखित सूचना देंगे (अनुसूची 1 देखें) भुगतान की मांग करने पर, हम ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

आपत्ति के बावजूद और बिना किसी सेट-ऑफ या प्रतिदावे के अधिकार के, आपको तुरंत या आपके निर्देशानुसार उतनी राशि का भुगतान करेंगे जितनी आप उस नोटिस में मांग सकते हैं (जबकि) पहले भुगतान की गई किसी भी राशि (राशि) के साथ एकत्रित गारंटीशुदा राशि (अग्रिम भुगतान गारंटी)। जब तक अग्रिम भुगतान पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता तब तक गारंटीशुदा राशि प्रत्येक भुगतान माइलस्टोन से 10% कटौती के माध्यम से चुकाई जाएगी। अग्रिम भुगतान गारंटी को आनुपातिक रूप से प्रत्येक चालान मूल्य के 10% के बराबर राशि से कम किया जाएगा जैसा कि ठेकेदार ने अपने चालान में दर्शाया है।

(8) इसी तरह, प्रदर्शन बैंक गारंटी के संबंध में, बैंक ने कहा है कि "हम, एएनजेड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड, आपके साथ अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचन देते हैं कि जब भी आप हमें भुगतान की मांग के लिए लिखित नोटिस (अनुसूची 1 देखें) देंगे, हम करेंगे।" , ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी आपत्ति के बावजूद और बिना किसी सेट-ऑफ या प्रतिदावे के अधिकार के, आपको तुरंत या आपके निर्देशानुसार उतनी राशि का भुगतान करें जितनी आप उस नोटिस में मांग सकते हैं (किसी भी राशि के साथ एकत्रित होने पर से अधिक नहीं, पहले भुगतान किया गया) गारंटीकृत राशि (प्रदर्शन बैंक गारंटी)।

(9) याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने कथित साइट अव्यक्त स्थितियों और इसके लागत निहितार्थ की खोज के संबंध में ऑनशोर आपूर्ति अनुबंध के खंड 37.5 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 को 02.12.2015 को एक नोटिस दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त नोटिस दिनांक 02.12.2015 के बाद दिनांक 10.12.2015 को एक अनुस्मारक दिया गया और बदले में, उसे प्रतिवादी नंबर 1 से दिनांक 04.01.2016 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें याचिकाकर्ता से हालिया साइट स्थलाकृतिक रिपोर्ट को शर्तों के अनुसार भेजने के लिए कहा गया। तटवर्ती आपूर्ति अनुबंध के खंड 37.6 का। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर साइट स्थलाकृतिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 05.01.2016 को पत्र भेजा था और उसके बाद, दिनांक 15.02.2016 के पत्र के माध्यम से, अव्यक्त शर्तों के संदर्भ में तटवर्ती आपूर्ति अनुबंध के खंड 39 के अनुसार भिन्नता के संबंध में अनुरोध प्रतिवादी से किया गया था। नंबर 1. इसने समय के औपचारिक विस्तार और गुप्त शर्तों के परिणामस्वरूप कार्य के दायरे में बदलाव के लिए अतिरिक्त लागत की मंजूरी के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 01.03.2016 को एक पत्र भी भेजा। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने पत्र दिनांक 08.03.2016 के माध्यम से याचिकाकर्ता को जवाब दिया कि वह काम को सुविधाजनक बनाने के

लिए अंतरिम व्यवस्था के बारे में सूचित करते हुए याचिकाकर्ता के अव्यक्त स्थितियों के दावे का आकलन करने की स्थिति में नहीं है, जबकि चर्चा और मूल्यांकन जारी रखने का सुझाव दिया गया है। कथित अव्यक्त स्थितियों के दावों और कथित भिन्नता के दावे के संबंध में। याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.03.2016, 18.03.2016, 25.03.2016 और 12.04.2016 को पत्र भेजकर साइट की अव्यक्त स्थितियों, इसकी लागत निहितार्थ के संबंध में बताया और समय बढ़ाने का अनुरोध किया।

(10) हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर वर्तमान याचिका दायर करते समय इस न्यायालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज़, अर्थात् समझौते का विलेख, जो 21.05. 2016 को तीनों पक्षों के बीच निष्पादित किया गया था, छुपाया है। फिर भी उक्त दस्तावेज़ को याचिकाकर्ता द्वारा के सीएम नंबर 3621-सी॥ 2018 ,के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसे दिनांक 19.02.2018 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। समझौते के विलेख को निष्पादित किया गया था क्योंकि समन्वित ठेकेदार नकदी प्रवाह की कमी का सामना कर रहे थे, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने उक्त विलेख में निर्धारित नियमों और शर्तों पर नकदी प्रवाह के मुद्दों को कम करने के लिए आगे अग्रिम भुगतान प्रदान करके उनकी मदद करने पर सहमति व्यक्त की थी और तदनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को कुल 10 मिलियन अमरीकी डालर (अपतटीय कार्य के लिए 6 मिलियन अमरीकी डालर और तटवर्ती कार्य के लिए 4 मिलियन अमरीकी डालर) की अग्रिम राशि दी, जिसके बदले में याचिकाकर्ता ने 6 मिलियन अमरीकी डालर और क्रमशः 4 मिलियन अमरीकी डालर की अग्रिम भुगतान गारंटी प्रस्तुत की ।

(11) सुरक्षा से संबंधित अन्य शर्तों के संबंध में, समझौते के विलेख के खंड 5.2 में यह प्रावधान है कि "मालिक, अपने पूर्ण विवेक पर, समन्वित अनुबंधों, समन्वय समझौते में से किसी एक के अनुसार किसी भी राशि की वसूली कर सकता है।" या यह विलेख आगे की अग्रिम भुगतान गारंटियों दोनों में से किसी एक के विरुद्ध अपने अधिकारों को लागू करके वसूली कर सकता है।"

(12) चूंकि वाणिज्यिक संचालन के लिए लक्ष्य तिथि 26.11.2016 थी, जिसे हासिल नहीं किया गया था, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने 30.11.2016 को याचिकाकर्ता को इस संबंध में अपनी विफलता की सूचना देते हुए एक नोटिस भेजा और इसके लिए लंबित विवरण प्रस्तुत करने की याद दिलाई। अव्यक्त स्थितियों से संबंधित इसके कथित दावे का मूल्यांकन। दिनांक 30.11.2016 के उक्त नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 14.12.2016 को एक पत्र भेजा था,

जबकि दिनांक 02.12.2015 और 01.03.2016 के पत्रों पर भरोसा करते हुए उसके सामने आने वाली अव्यक्त साइट स्थितियों के मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई थी। कार्य के समग्र दायरे में बड़े बदलाव के कारण वाणिज्यिक परिचालन समय पर पूरा नहीं हो सका। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 10.02.2017 को पत्र भी भेजा, जिसमें पूरा होने के समय और अनुबंध की कीमतों पर अव्यक्त साइट स्थितियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 17.02.2017 को साइट छोड़ दी थी और काम पूरा करने के लिए वापस नहीं लौटे। प्रतिवादी नंबर 1 ने 27.02.2017 को एक पत्र भेजा और याचिकाकर्ता को यह भी याद दिलाया कि वह गुप्त स्थितियों के अपने कथित दावे के संबंध में अतिरिक्त विवरण की प्रतीक्षा कर रहा है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.02.2017 के पत्र के जवाब में 14.03.2017 को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को उसके सामने आने वाली अव्यक्त स्थितियों के बारे में बताया गया और तदनुसार खंड 37, 39 और 40 के तहत नोटिस जारी किए गए। इन अव्यक्त शर्तों के कारण समय और लागत के विस्तार की मांग के लिए अनुबंध और फिर से वाणिज्यिक संचालन के लिए तारीख के विस्तार और परिणामी लागत के दावों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 की मंजूरी मांगी गई, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था। दिनांक 05.04.2017 को यह आरोप लगाते हुए कि सारी गलती याचिकाकर्ता की है और याचिकाकर्ता विलंबित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह 26.11.2016 को वाणिज्यिक परिचालन हासिल करने में विफल रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.05.2017 को एक पत्र भी भेजा जिसमें सूचित किया गया कि वह अपनी ओर से अंतिम विवरण लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता के मामले पर ठीक से विचार नहीं कर सकता है और अंततः, उनके बीच एक संक्षिप्त पत्राचार के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्र दिनांक के माध्यम से 29.01.2018 ने याचिकाकर्ता के अव्यक्त शर्तों, समय के विस्तार और भिन्नता से संबंधित दावे को खारिज कर दिया और 30.01.2018 को वाणिज्यिक संचालन हासिल करने में याचिकाकर्ता की विफलता के कारण अनुबंध के खंड 44.1 के तहत अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस जारी किया। 26.11.2016. प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा 31.12.2017 तक पूरा किए गए तटवर्ती कार्य की स्थिति 43% थी और तदनुसार सभी बैंक गारंटी लागू कर दी गई।

(13) प्रतिवादी क्रमांक 1 की उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.02.2018 को अधिनियम की धारा 9 के तहत यह याचिका प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 06.02.2018 को आदेश दिया गया कि बैंक गारंटी भुनाई नहीं जाएगी।

(14) प्रारंभिक दृष्टि से, प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्तमान याचिका को गुण-दोष के आधार पर सुनने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में मुद्दा उठाया था, जिसे दिनांक 07.02.2018 के एक अलग आदेश द्वारा तय किया गया था, यह मानते हुए कि इस न्यायालय के पास सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की गई और मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया और तब तक अंतरिम आदेश जारी रखने का आदेश दिया गया।

(15) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुबंध के खंड 44.16 से 44.19 के संदर्भ में तथाकथित दावों का नोटिस भेजे बिना या चालान उठाए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया है। यह मूल रूप से प्रस्तुत किया गया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 1 विलंबित परिसमापन क्षति के लिए हकदार है, जिसका दावा याचिकाकर्ता द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए निर्धारित तिथि तक वाणिज्यिक संचालन हासिल करने में विफलता के कारण किया जा सकता है।, मालिक को ठेकेदार को चालान भेजना होगा और मालिक के चालान की तारीख से 15 व्यावसायिक दिनों की समाप्ति के बाद, चालान की गई राशि देय ऋण होगी और मांग पर मालिक को देय होगी और अन्यथा देय किसी भी भुगतान से कटौती की जा सकती है। मालिक से लेकर ठेकेदार तक और मालिक को भी सुरक्षा का सहारा लेना पड़ सकता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि सुरक्षा में बैंक गारंटी शामिल होगी, इसलिए, विलंबित परिसमापन क्षति के संबंध में देय राशि का आकलन करने के बाद ही इसे लागू/भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और अन्य** के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है और पैरा 37, 38, 42 और 43 का उल्लेख किया है। उक्त निर्णय, जो इस प्रकार है:-

> “37. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आये, वे थे - पहला, खंड 18 की सही व्याख्या क्या है; दूसरा, खंड 18 में क्रेता के साथ अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के तहत "देय राशि" और "देय हो सकता है" शब्दों का क्या अर्थ है; तीसरा, क्या खंड 18 भारत संघ को ठेकेदार से लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान (परिसमाप्त या गैर-परिसमापन) के माध्यम से उसके द्वारा दावा की गई राशि की वसूली करने का

अधिकार देता है और अंत में, क्या ऐसे मामले में, ठेकेदार दावा करने का हकदार है ऐसी राशि की वसूली करने से भारत संघ के विरुद्ध निषेधाज्ञा।

38. न्यायमूर्ति भगवती (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने बेंच के लिए बोलते हुए अंग्रेजी और भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में इस मुद्दे की विस्तार से जांच की। विद्वान न्यायाधीश ने इस विषय पर पूरे मामले के कानून की जांच करने के बाद लेखन की अपनी विशिष्ट शैली में कहा कि खंड 18 में आने वाली अभिव्यक्ति "योग्य राशि" का मतलब एक ऐसी राशि होगी जिसके लिए प्रेजेंटी या दूसरे शब्दों में भुगतान करने का मौजूदा दायित्व है। वर्तमान में देय है और इसलिए, केवल ऐसी रकम की वसूली खंड 18 की विषय वस्तु बनाई जा सकती है जो वर्तमान में देय है। यह माना गया कि एक दावा, जो न तो देय है और न ही देय है, को खंड 18 का विषय नहीं बनाया जा सकता है। यह भी माना गया कि खंड 18 ठेकेदार के कारण अन्य रकम पर ग्रहणाधिकार नहीं बनाता है या क्रेता को कोई अधिकार नहीं देता है। ठेकेदार के खिलाफ उसका दावा संतुष्ट होने तक ऐसी रकम अपने पास रखे। यह भी माना गया कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा वर्तमान में देय राशि का दावा नहीं है और क्रेता खंड 18 के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके ऐसे दावे की राशि को विनियोजित करके वसूल करने का हकदार नहीं है। ठेकेदार को देय अन्य राशियाँ।

xxx xxx xxx xxx

42. मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि सबसे पहले, अनुबंध दिनांक 22.08.2005 के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही अभी भी लंबित है। दूसरे, अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राशि उस अनुबंध से संबंधित नहीं है जिसके लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन यह 22.08.2005 दिनांकित एक अन्य अनुबंध से संबंधित है जिसके लिए कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की गई थी। तीसरा, अपीलकर्ता की ओर से उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राशि क्षति की प्रकृति में है, जिस पर अभी तक मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय नहीं लिया गया है। चौथा, दावा की गई राशि न तो वर्तमान में देय राशि है और न ही देय राशि है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राशि न तो स्वीकृत राशि है और न ही वह राशि है जिस पर किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है, बल्कि यह एक विवादित राशि है और अंत में, प्रश्न में बैंक

गारंटी की प्रकृति है दिनांक 14.07.2006 (आनंद विहार कार्य) के अनुबंध के निष्पादन कार्य के लिए एक प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की गई और उत्तरदाताओं की संतुष्टि के लिए काम पूरा हो गया, उन्हें बैंक गारंटी को भुनाने का कोई अधिकार नहीं था।

43. इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने निषेधाज्ञा देने के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज करने में गलती की है। हम वास्तव में यह देखने के लिए बाध्य हैं कि दोनों अदालतों ने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की जब वे भारत संघ (डीजीएस एंड डी) (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान देने में विफल रहे, जिसने विवाद को नियंत्रित किया और इसके बजाय **हिमाद्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड** पर निर्भरता रखी। **बनाम कोल तार रिफाइनिंग कंपनी,** एआईआर 2007 एससी 2798 **और यू.पी. राज्य चीनी निगम बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड**, (1997) 1 एससीसी 568, जिसने बैंक गारंटी से संबंधित सामान्य सिद्धांत निर्धारित किया। उन मामलों में निर्धारित प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता। हालाँकि, प्रत्येक मामले का निर्णय उसमें शामिल मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। मौजूदा मामला तथ्यों के आधार पर भारत संघ (डीजीएस एंड डी) (सुप्रा) के मामले के समान था और इसलिए उस मामले में निर्धारित कानून इस मामले पर भी लागू था। यहां तक कि इस न्यायालय में भी, दोनों विद्वान वकीलों ने यूनियन ऑफ इंडिया (डीजीएस एंड डी) मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को हमारे ध्यान में नहीं लाया।

(16) यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी, अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति, विशेष इक्विटी या जहां बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, के मामले में बैंक गारंटी के आह्वान और उसके नकदीकरण के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी जा सकती है। और गारंटी की शर्तों के तहत आह्वान करने के लिए सशक्त व्यक्ति द्वारा। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड2. के मामले में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

"20. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में निर्धारित उपरोक्त कानून के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी के नकदीकरण के विरुद्ध निषेधाज्ञा एक अपवाद है, नियम नहीं। ऐसे अपवादों के मामलों को रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और दलीलों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सीमित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए:-

i) यदि बैंक गारंटी के संबंध में कोई धोखाधड़ी हुई है जो ऐसी गारंटी की नींव को खराब कर देगी और लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी का लाभ उठाना चाहता है।

ii) आवेदक, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला स्थापित करता है।

iii) आवेदक इस प्रकार की असाधारण या विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम है जो अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को प्रभावित करेगी।

iv) जब बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और गारंटी की शर्तों के तहत उसे लागू करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आह्वान पत्र बैंक गारंटी की विशिष्ट शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

21. असाधारण मामले कम होंगे लेकिन इसे कभी भी कानून के पूर्ण प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में अदालत बैंक गारंटी के नकदीकरण/आह्वान पर रोक नहीं लगा सकती है जो एक पार्टी द्वारा एक स्वतंत्र अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई हो। किसी लाभार्थी के पास मांग पर बैंक गारंटी भुनाने का निर्विवाद या स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं है। बैंक गारंटी देने वाले बैंक का भुगतान करने का दायित्व ऊपर बताई गई एक सीमित असाधारण परिस्थिति के अधीन होगा। नियम के तौर पर, बैंक अपनी शर्तों के तहत बैंक गारंटी लागू होने पर उसे भुनाने के लिए बाध्य होगा। ऊपर बताए गए अपवाद केवल उन मामलों के संकेत हैं जहां अदालत बैंक गारंटी को भुनाने पर रोक लगा सकती है। उन मामलों को विस्तृत रूप से वर्गीकृत करना न तो संभव है और न ही स्वीकार्य है जहां अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी और जहां अदालत ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप करेगी। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए करना होगा। मुख्य अनुबंध और बैंक गारंटी एजुस्डेम नेगोटी होने के बावजूद, बैंक गारंटी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अनुबंध है जिसे अपनी शर्तों पर लागू किया जा सकता है। असाधारण मामलों को छोड़कर, जहां अदालत के समक्ष पार्टियों की दलीलों के आधार पर प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करने के लिए निश्चित सामग्री उपलब्ध है; समर्थन करने वाले दस्तावेज़ों में ऐसी दलील है; यदि मामला ऊपर बताई गई श्रेणियों में से एक या अधिक में आता है, तो बैंक गारंटी भुनाई जा सकेगी। इसका एक दायित्व है जो मुख्य विवादों के निर्णय पर निर्भर नहीं है। अपूरणीय अन्याय, या क्षति, या विशेष इक्विटी की अवधारणा तब चलन में आएगी जहां एक अनुबंध के पक्षकारों को आंतरिक न्यायिक तंत्र प्रदान किया गया है, बैंक गारंटी को भुनाने के लिए ऐसे आंतरिक न्यायनिर्णयन के परिणामों को विफल करने का प्रयास किया जाता है, खासकर जब इसके तहत अनुबंध के नियम और शर्तें, गारंटी की शर्तों सहित, ऐसा निर्धारण 'अंतिम' है, निश्चित रूप से ऐसे अनुबंधों में उल्लिखित सीमाओं के अधीन है। दूसरे पक्ष के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा करने के इरादे से निर्णय की प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास एक ऐसी परिस्थिति होगी जो निर्णय को प्रभावित करेगी या न्यायालय के समक्ष आवेदक के पक्ष में विशेष इक्विटी को झुका देगी।

22. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटना उचित होगा। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदक द्वारा अनुबंधित कार्य पूरा कर लिया गया था। यह दिखाने के लिए पत्राचार रिकॉर्ड पर रखा गया है कि काम पूरा हो चुका था और प्रदर्शन अवधि शुरू हो गई थी जो 8 जुलाई, 2003 को समाप्त होनी थी। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्रश्न में बैंक गारंटी को सिर्फ एक दिन में वापस लेने की मांग की गई थी। प्रदर्शन अवधि की समाप्ति से पहले।"

(17) उन्होंने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें **हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य** के मामले में अपवाद बनाया गया है। **बनाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड3** और दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का एक अन्य फैसला **नांगिया कंस्ट्रक्शन इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य.**4 के मामले में सुनाया गया।

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

(18) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा अव्यक्त स्थितियों, इसके लागत निहितार्थ और समय के विस्तार के अनुरोध के बारे में उठाए गए मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है।

(19) दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह मुद्दा कि क्या याचिकाकर्ता की ओर से देरी हुई थी या प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से, यह देखने का मामला होगा। मध्यस्थ लेकिन जहां तक बैंक गारंटी का सवाल है, यह अपरिवर्तनीय और बिना शर्त था और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के संदर्भ में वैधानिक बल वाला एक पूरी तरह से अलग अनुबंध है। उन्होंने **एस्सार** के मामले से शुरू होने वाले कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया है **प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य5** दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया जिसमें पैराग्राफ 23, 25 और 30 प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

> "23. बैंक गारंटी के आह्वान में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यह बार-बार माना गया है कि विशेष रूप से बिना शर्त बैंक गारंटी के मामलों में, अदालत को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि याचिकाकर्ता गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी को स्थापित करने में सक्षम न हो या विशेष इक्विटी की वकालत करने में सक्षम न हो। मुझे कई न्यायिक घोषणाओं के साथ अपनी राय पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, सीडब्ल्यूएचईसी-एचसीआईएल (जेवी) बनाम कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड और अन्य, आईएलआर (2008) में इसी न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ को पुनः प्रस्तुत करना पर्याप्त है। 1 डेल 353:
>
> "10. उपरोक्त चर्चा के आलोक में निम्नलिखित सिद्धांत चलते हैं
> (i) बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है।
>
> (ii) बिना शर्त बैंक गारंटी के मामले में, बैंक लाभार्थी को बिना किसी आपत्ति या विरोध के, मांगने पर पैसा देने का वचन देता है।
>
> (iii) इसके अलावा, बिना शर्त बैंक गारंटी में, बैंक के दायित्व की प्रकृति पूर्ण है और बैंक गारंटी के लाभार्थी और उस पार्टी के बीच किसी विवाद या कार्यवाही पर निर्भर नहीं है जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई है।

(iv) चूंकि बैंक गारंटी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार और वाणिज्य के लिए मौलिक है, सामान्य नियम यह है कि कानून की अदालतों को उनकी वसूली पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा देने में धीमी और सतर्क होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अदालतों को पक्षों के बीच विवादों की जांच करने या यह सवाल उठाने से बचना चाहिए कि क्या लाभार्थी अनुचित संवर्धन लेने की कोशिश कर रहा है, आदि।
(v) हालाँकि, उपरोक्त सामान्य नियम के चार अपवाद हैं, अर्थात, अदालत बैंक गारंटी के आह्वान पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा दे सकती है, यदि:

(ए) बैंक गारंटी के संबंध में एक गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी हुई है जो ऐसी गारंटी की नींव को खराब कर देगी और लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी का फायदा उठाना चाहता है।

(बी) आवेदक, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला स्थापित करता है।

(सी) आवेदक इस प्रकार की असाधारण या विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम है जो अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा।

(डी) बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और गारंटी की शर्तों के तहत उसे लागू करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है।

42. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में बैंक गारंटी के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बिना शर्त बैंक गारंटी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले पक्ष और उसके लाभार्थी के बीच किसी भी विवाद के बावजूद बैंक गारंटी का सम्मान करने के लिए बैंक पर एक अपरिवर्तनीय दायित्व बनाती है। बैंक का यह दायित्व व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रथाओं को संगठित करने के लिए विश्वास और आस्था का कार्य दर्शाता है। कानून की अदालतों को भी, बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करते समय बेहद सतर्क और छिटपुट होना चाहिए, ऐसा न हो कि व्यापार और वाणिज्य का मुक्त प्रवाह खतरे में पड़ जाए। सामान्य नियम यह है कि अदालत को, आमतौर पर, बैंक गारंटी के आह्वान पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा देने से बचना चाहिए, जब तक कि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट न हो

जाए कि लाभार्थी/प्रतिवादियों का कार्य इतना स्पष्ट और अनुचित है कि याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है। . बैंक गारंटियों के आह्वान पर रोक से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायिक नियम, अपवाद गैर प्रोबेट में अंतर्निहित सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश को अपने निर्णय में नियम का पालन करना चाहिए, जब अपवाद स्पष्ट नहीं किया गया हो। (जोर दिया गया)"

xxx xxx xxx xxx

"25. जहां तक श्री जैन की इस दलील का संबंध है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने मामले में मध्यस्थ के रूप में काम किया है और नुकसान की मात्रा का एकतरफा फैसला किया है, मेरे विचार में, यह प्रश्न हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में पूरी तरह से उत्तर दिया गया है। (सुप्रा)। मामले में, अपीलकर्ता ने ठेकेदार को स्टील प्लांट में सिविल कार्यों के निर्माण का ठेका दिया था, जो विस्तार के बावजूद निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में असमर्थ था और अपीलकर्ता ने अनुबंध रद्द कर दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता ने हानि/क्षति का आकलन किया और बैंक गारंटी का उपयोग किया। ठेकेदार ने अपीलकर्ता को बिना किसी लाभ के बैंक गारंटी का उपयोग करने से रोकने के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील की और फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि चूंकि बैंक गारंटी उचित प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए दी गई थी, इसलिए इसे केवल बाद में ही भुनाया जा सकेगा। मध्यस्थ उल्लंघन के तथ्य के साथ-साथ हुई क्षति का भी निर्णय करते हैं। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि हर्जाना देने का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब यह स्थापित हो जाएगा कि अनुबंध का उल्लंघन हुआ है और मध्यस्थ द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला, जिसने अपील की अनुमति दी और निम्नानुसार कहा:

"6. यह देखने के बाद कि इस मामले में बैंक गारंटी संख्या 3/21, 3/39 और 6/175 को छोड़कर बैंक गारंटी केवल सुरक्षा जमा के लिए दी गई थी, यह देखा गया कि: "किसी भी विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान किसी भी निर्णय की ओर आकर्षित नहीं किया था।" या अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के माध्यम से दी गई बैंक गारंटी के संबंध में

निषेधाज्ञा से इनकार करना। इसके बाद इसने हमारे देश में परिसमाप्त क्षति के संबंध में कानून की स्थिति पर विचार किया और पाया कि: "इसलिए उल्लंघन के मामले में तय की जा सकने वाली ऊपरी सीमा को छोड़कर, उस राशि के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। " भारत संघ बनाम रमन आयरन फाउंड्री [(1974) 2 एससीसी 231: एआईआर 1974 एससी 1265] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि समझौते में किसी भी शर्त के लिए पार्टियों में से एक एकमात्र न्यायाधीश होगा। मात्रा निर्धारण को अमान्य माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के अनुसार हर्जाना देने का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब यह स्थापित हो जाए कि अनुबंध का उल्लंघन हुआ है और यह अदालत या मध्यस्थ को तय करना है कि किसने उल्लंघन किया है। जब तक देनदारी का पता नहीं चल जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि "कर्ज बकाया है या बकाया है।" इन आधारों पर उच्च न्यायालय ने एचएससीएल की ओर से उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि वह यह तय करने वाला एकमात्र न्यायाधीश था कि ठेकेदार ने अनुबंध का उल्लंघन किया है या नहीं और इससे कितना नुकसान हुआ है। यह भी माना गया कि न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा किसी निर्धारण के अभाव में ठेकेदार द्वारा एचएससीएल को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि देय नहीं कही जा सकती है, इसलिए, एचएससीएल को बैंक पर दबाव डालने से रोकना उचित और उचित होगा। गारंटी देता है.

14. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर बैंक गारंटी लागू करने से रोकने में भी गंभीर गलती की कि भारत में नुकसान के रूप में केवल उचित राशि ही दी जा सकती है, भले ही अनुबंध के पक्षों ने परिसमाप्त नुकसान के लिए प्रावधान किया हो और एक बैंक गारंटी में लाभार्थी को अनुबंध के उल्लंघन और हानि या क्षति की सीमा के सवाल पर एकमात्र न्यायाधीश बनाने की शर्त अमान्य होगी और किसी भी राशि को तब तक देय नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस संबंध में अदालत द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। या एक मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सही स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है कि बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है और अंतर्निहित लेनदेन और उस व्यक्ति के बीच प्राथमिक अनुबंध द्वारा योग्य नहीं है जिसके उदाहरण पर बैंक गारंटी है दिया गया और लाभार्थी। उच्च न्यायालय ने जो कहा है वह केवल अंतर्निहित लेनदेन या प्राथमिक अनुबंध के

पक्षों पर लागू होगा, लेकिन बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि बैंक और लाभार्थी के बीच लेनदेन स्वतंत्र और अलग है। प्रकृति। बिना शर्त बैंक गारंटी के मामले में बैंक के दायित्व की प्रकृति पूर्ण है और यह उस पक्ष और लाभार्थी के बीच किसी विवाद या कार्यवाही पर निर्भर नहीं है जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई है। इस प्रकार उच्च न्यायालय बैंक गारंटी के वास्तविक उद्देश्य और प्रकृति की सराहना करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने एक कार्य अनुबंध के उचित निष्पादन की गारंटी और उस अनुबंध के लिए सुरक्षा जमा के लिए दी गई गारंटी के बीच जो अंतर निकाला है, वह भी अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अंतर उच्च न्यायालय द्वारा पार्टियों और बैंक गारंटी के बीच प्राथमिक अनुबंध और बैंक गारंटी के वास्तविक उद्देश्य और उसके तहत बैंक के दायित्व की प्रकृति के बीच अंतर को न समझने की उसी भ्रांति का परिणाम है। . क्या बैंक गारंटी सुरक्षा जमा या जुटाव अग्रिम या कार्यशील निधि के लिए है या अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए है, यदि यह बिना शर्त है और यदि बैंक गारंटी में कोई शर्त है कि बैंक बिना किसी देरी के मांग पर भुगतान करेगा और लाभार्थी को न केवल अनुबंध के उल्लंघन के प्रश्न पर, बल्कि हानि या क्षति की राशि के संबंध में भी, बैंक का दायित्व वही रहेगा और उस दायित्व को बैंक गारंटी में दिए गए तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। . जनरल इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी इंक बनाम पुंज संस (पी) लिमिटेड [(1991) 4 एससीसी 230] में मोबिलाइजेशन एडवांस हासिल करने के लिए दी गई बैंक गारंटी के मामले से निपटने के दौरान यह माना गया है कि एक ठेकेदार का अधिकार है चालू बिलों के तहत कुछ रकम वसूलने का बैंक द्वारा दी गई गारंटी के तहत देनदारी से कोई लेना-देना नहीं होगा। उस मामले में भी बैंक गारंटी में शर्त यह थी कि बैंक को बिना किसी आपत्ति के मांग पर भुगतान करना होगा और लाभार्थी को होने वाले नुकसान या क्षति के संबंध में एकमात्र न्यायाधीश होना था। इस न्यायालय ने माना कि ठेकेदार और अनुबंध देने वाली पार्टी के बीच विवाद के बावजूद, बैंक बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य था। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र एसईबी [(1995) 6 एससीसी 68] और हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम जीएस अटवाल एंड कंपनी (इंजीनियर्स) (पी) लिमिटेड [(1995) 6 एससीसी 76] भी मामले थे ऐसे कार्य अनुबंध जिनमें बैंक गारंटी या तो अग्रिम या सुरक्षा जमा जारी करने या अनुबंध के निष्पादन

के लिए दी गई थी। इन दोनों मामलों में इस न्यायालय ने माना कि बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है और चूंकि लाभार्थी को अनुबंध के प्रदर्शन के उल्लंघन और हानि या क्षति की सीमा के सवाल पर एकमात्र न्यायाधीश बनाया गया था, इसलिए लाभार्थी को बैंक का आह्वान करने से रोक दिया गया था। गारंटी नहीं दी जा सकती थी. इस न्यायालय के उपर्युक्त तीन बाद के निर्णयों से यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है।

23. इसलिए, हमारी राय है कि कानून की सही स्थिति यह है कि बैंकों की प्रतिबद्धता को अदालतों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए और यह केवल असाधारण मामलों में है, यानी धोखाधड़ी के मामले में या ऐसे मामले में जहां बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति देने से अपूरणीय अन्याय होगा, अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मामले में धोखाधड़ी की दलील नहीं दी गई है और ठेकेदार/प्रतिवादी 1 द्वारा निषेधाज्ञा की राहत इस आधार पर मांगी गई थी कि विशेष इक्विटी या मामले की विशेष परिस्थितियों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इस मामले में जिन विशेष परिस्थितियों और/या विशेष समानताओं की वकालत की गई है, वे यह हैं कि इस सवाल पर गंभीर विवाद है कि अनुबंध का उल्लंघन किसने किया है, कि ठेकेदार के पास अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिदावा है, कि विवाद पार्टियों के बीच के विवाद को मध्यस्थों के पास भेजा गया है और जब तक मध्यस्थ अपना निर्णय घोषित नहीं कर देते तब तक ठेकेदार द्वारा अपीलकर्ता को कोई भी राशि बकाया या देय नहीं कही जा सकती। हमारी राय में, ये कारक इस मामले को अपीलकर्ता को बैंक गारंटी लागू करने से रोककर हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाला एक असाधारण मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को बैंक गारंटी लागू करने से रोकना सही नहीं था।

(जोर दिया गया)"

Xxx xxx xxx xxx

“30. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता बैंक गारंटी पर रोक लगाने के आधार के खिलाफ, जो एक स्वतंत्र दस्तावेज है, याचिकाकर्ता की ओर से दावे या प्रतिदावे में कोई विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, मुझे दो बैंक गारंटियों के आह्वान पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिला।”

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

(20) उन्होंने **अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड बनाम महबूब शरीफ और अन्य6** के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

> "8. **विनिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड,** (2008) 1 एससीसी 544 पर भी भरोसा किया गया था। उपरोक्त निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां दर्ज की गई हैं:
>
> "11. बैंक गारंटियों को लागू करने से संबंधित कानून अब तक इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से तय हो चुका है। बैंक गारंटियां जो प्रदान करती हैं कि वे गारंटर द्वारा मांग पर देय हैं, उन्हें बिना शर्त बैंक गारंटी माना जाता है। जब वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान, बिना शर्त गारंटी दी गई है या स्वीकार कर ली गई है, तो लाभार्थी किसी भी लंबित विवाद के बावजूद ऐसी बैंक गारंटी प्राप्त करने का हकदार है। **यूपी राज्य चीनी निगम बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड** में, इस न्यायालय ने कहा कि :
>
> '12.ऐसी बैंक गारंटी लागू करने से संबंधित कानून अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है। जब वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान बिना शर्त बैंक गारंटी दी जाती है या स्वीकार की जाती है, तो लाभार्थी किसी भी लंबित विवाद के बावजूद ऐसी बैंक गारंटी प्राप्त करने का हकदार है। ऐसी गारंटी देने वाला बैंक अपने ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद अपनी शर्तों के अनुसार इसका सम्मान करने के लिए बाध्य है। अन्यथा ऐसी बैंक गारंटी देने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए, अदालतों को ऐसी बैंक गारंटी की वसूली पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा देने में धीमी गति से काम करना चाहिए। अदालतों ने केवल दो अपवाद बनाये हैं। ऐसी बैंक गारंटी के संबंध में कोई धोखाधड़ी ऐसी बैंक गारंटी की नींव को ही नष्ट कर देगी। इसलिए यदि कोई ऐसी धोखाधड़ी है जिसका लाभार्थी लाभ उठाना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। दूसरा अपवाद उन मामलों से संबंधित है जहां बिना शर्त बैंक गारंटी के नकदीकरण की अनुमति देने से संबंधित पक्षों में से किसी एक को अपूरणीय क्षति या अन्याय होगा। चूंकि ज्यादातर मामलों में ऐसी बैंक गारंटी के तहत पैसे का भुगतान बैंक और उसके ग्राहक पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिसके कहने पर गारंटी दी गई है, इस मद के तहत होने वाली हानि या अन्याय ऐसी असाधारण और अपूरणीय प्रकृति का होना चाहिए जो

शर्तों से आगे निकल जाएगा। गारंटी और देश में वाणिज्यिक लेनदेन पर ऐसे निषेधाज्ञा का प्रतिकूल प्रभाव। दोनों आधार आवश्यक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, हालांकि कुछ मामलों में दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं।'

12. यह कानून में भी समान रूप से स्थापित है कि बैंक गारंटी बैंक और उसके लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध है। बैंक हमेशा अपनी गारंटी का सम्मान करने के लिए बाध्य है जब तक कि यह बिना शर्त और अपरिवर्तनीय है। लाभार्थी और उस पक्ष के बीच विवाद, जिसके कहने पर बैंक ने गारंटी दी है, सारहीन है और इसका कोई परिणाम नहीं है। **बीएसईएस लिमिटेड बनाम फेनर इंडिया लिमिटेड** में इस न्यायालय ने कहा:

'10. हालाँकि, इस नियम के दो अपवाद हैं। पहला तब होता है जब कोई स्पष्ट धोखाधड़ी होती है जिसका बैंक को नोटिस होता है और यह उस लाभार्थी की धोखाधड़ी होती है जिससे वह लाभ लेना चाहता है। धोखाधड़ी गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए जिससे संपूर्ण अंतर्निहित लेन-देन ख़राब हो जाए। गैर-हस्तक्षेप के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद तब होता है जब निषेधाज्ञा के पक्ष में 'विशेष समानताएं' होती हैं, जैसे कि जब ऐसा निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो 'अपूरणीय चोट' या 'अपूरणीय अन्याय' होगा। इस न्यायालय के कई निर्णयों में सामान्य नियम और उसके अपवादों को दोहराया गया है, कि उ.प्र. राज्य चीनी निगम वी. सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड (1997) 1 एससीसी 568 (इसके बाद 'यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन') यह न्यायालय, सही ढंग से घोषित करता है कि कानून 'निपटारा' था।'

13. **हिमाद्रि केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कोल तार रिफाइनिंग कंपनी** में, इस अदालत ने बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया:

'14...(i) वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, और जब बिना शर्त बैंक गारंटी या ऋण पत्र दिया या स्वीकार किया जाता है, तो लाभार्थी ऐसी बैंक गारंटी या पत्र प्राप्त करने का हकदार है अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी लंबित विवाद के बावजूद उसके संदर्भ में क्रेडिट का।

(ii) ऐसी गारंटी देने वाला बैंक अपने ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद अपनी शर्तों के अनुसार इसका सम्मान करने के लिए बाध्य है।
(iii) अदालतों को बैंक गारंटी या ऋण पत्र की वसूली पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा देने में धीमी गति से काम करना चाहिए।

(iv) चूंकि बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र एक स्वतंत्र और एक अलग अनुबंध है और प्रकृति में पूर्ण है, अनुबंध के पक्षों के बीच किसी भी विवाद का अस्तित्व प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का आधार नहीं है। बैंक गारंटी या ऋण पत्र।

(v) गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी जो ऐसी बैंक गारंटी या ऋण पत्र की नींव को खराब कर देगी और लाभार्थी स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

(vi) बिना शर्त बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र को भुनाने की अनुमति देने से संबंधित पक्षों में से किसी एक को अपूरणीय क्षति या अन्याय होगा।

14. **महात्मा गांधी सहक्रा सकारे कारखाने बनाम नेशनल हेवी इंजीनियरिंग में। कूप. लिमिटेड और अन्य**, इस न्यायालय ने देखा:

"यदि दी गई बैंक गारंटी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय है, तो बैंक गारंटी के तहत राशि का भुगतान करने के लिए किसी भी तरह की आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बैंक द्वारा गारंटी दी गई है, उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। इस बहाने से गारंटी लागू करने से निषेधाज्ञा कि पार्टियों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में बैंक गारंटी लागू करने की शर्त पूरी नहीं हुई है। ऐसा करना अस्वीकार्य है। विक्रेता किसी भी प्रकृति का विवाद नहीं उठा सकता है और रोक नहीं सकता है धोखाधड़ी और अपूरणीय क्षति के आधार पर क्रेता को निषेधाज्ञा के माध्यम से बैंक गारंटी लागू करने से रोका जाएगा।
जो प्रासंगिक है वह बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी में शामिल शर्तें हैं। वर्तमान मामले में गारंटी के नियमों और शर्तों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि गारंटी बिना शर्त है। इसलिए, प्रतिवादी को कोई विवाद खड़ा करने और अपीलकर्ता को बैंक गारंटी भुनाने से रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल यह तथ्य कि बैंक गारंटी गारंटी विलेख की प्रस्तावना में

किसी विशिष्ट खंड का उल्लेख किए बिना सिद्धांत समझौते को संदर्भित करती है, बैंक द्वारा दी गई गारंटी को सशर्त नहीं बनाती है।

* * *

24. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए है वह यह है कि क्या वर्तमान मामला किसी एक या दोनों अपवादों के अंतर्गत आता है, अर्थात्, क्या कोई स्पष्ट धोखाधड़ी है जिसका बैंक को नोटिस है और लाभार्थी की धोखाधड़ी है जिससे वह चाहता है लाभ के लिए और एक अन्य अपवाद यह है कि क्या निषेधाज्ञा देने के पक्ष में कोई "विशेष इक्विटी" हैं।

25. इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों में यह विचार रखा कि धोखाधड़ी, यदि कोई हो, गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए जो अंतर्निहित लेनदेन को ख़राब कर दे। हमने वर्तमान मामले में दलीलों की सावधानीपूर्वक जांच की है जिसमें धोखाधड़ी के आरोप के समर्थन में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया है। किसी धोखाधड़ी का कोई उचित आरोप भी नहीं है और वास्तव में अपीलकर्ता का पूरा मामला प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के कथित उल्लंघन के आरोप के आसपास केंद्रित है। अपीलकर्ता के स्वयं के शब्दों में धोखाधड़ी की दलील निम्नलिखित आशय की है:

"प्रतिवादी एचसीएल द्वारा घोर बेईमानी और धोखाधड़ी के अपराध में बैंक गारंटी में निर्धारित भुगतान न करने के बावजूद, प्रतिवादी एचसीएल ने आवेदक द्वारा दी गई बैंक गारंटी को धोखाधड़ी से भुनाया और इसके तहत रकम भेजने की मांग की। दिनांक 16.12.2003 के आह्वान पत्र के माध्यम से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सशर्त बैंक गारंटी।"

26. हमारी सुविचारित राय में इस तरह के अस्पष्ट और अनिश्चित आरोप किसी भी धोखाधड़ी के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, पूरे लेन-देन को ख़राब करने वाली गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यह मामला पहले अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है।

27. क्या बैंक गारंटी भुनाने से कोई "अपूरणीय क्षति" या "अपूरणीय अन्याय" होगा। अपीलकर्ता द्वारा इसके पक्ष में किसी विशेष इक्विटी की कोई दलील नहीं दी गई है। जहां तक "अपूरणीय अन्याय" की दलील का सवाल है, अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में केवल इतना कहा है:

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

"अगर प्रतिवादी अपने बुरे डिजाइन को लागू करने में सफल हो जाता है, तो यह न केवल धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा, आवेदक के साथ अपूरणीय अन्याय होगा, और मध्यस्थता को निरर्थक और निष्फल बना देगा, बल्कि प्रतिवादी को अपनी गलती का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देगा। आवेदक की कीमत और अत्यधिक पूर्वाग्रह पर।

(जोर दिया गया)"

(21) इसके अलावा, **अंसल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य7** के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा है: -

“4. यह स्थापित कानून है कि बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है और यह अंतर्निहित लेनदेन और उस व्यक्ति के बीच प्राथमिक अनुबंध की वैधता से योग्य नहीं है जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई थी और लाभार्थी। जब तक धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी मौजूद नहीं है, इसकी वकालत नहीं की जाती है और प्रथम दृष्टया एक विचारणीय मुद्दे के रूप में मजबूत साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक लाभार्थी को बैंक गारंटी भुनाने से नहीं रोका जा सकता है, भले ही लाभार्थी और उस व्यक्ति के बीच विवाद हो जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई थी। बैंक, अनुबंध के निष्पादन या उसके आगे किए गए कार्यों के निष्पादन में उत्पन्न हुआ था। बैंक ने बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से, मांग पर, बैंक गारंटी के संदर्भ में किसी भी आपत्ति या विवाद के बिना गारंटी में ली गई देनदारी की राशि का भुगतान करने का वादा किया। इसके पीछे का उद्देश्य वाणिज्य और व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए सम्मान और लाभार्थी और ठेकेदार के बीच लंबित विवादों से मुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग लेनदेन में विश्वास पैदा करना है।

5. यह समान रूप से स्थापित कानून है कि बैंक गारंटी के संदर्भ में लाभार्थी हकदार है; बैंक गारंटी का आह्वान करें और बैंक गारंटी में निर्दिष्ट राशि को भुनाने की मांग करें। उल्लंघन की स्थिति में यह पक्षों के बीच विवाद में निर्णय के परिणाम पर निर्भर नहीं करता है। अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि बैंक गारंटी या बैंक द्वारा दिए गए ऋण पत्र के रूप में एक अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक गारंटी/ऋण पत्रों के प्रवर्तन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल उन

मामलों को छोड़कर जहां धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी को प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य द्वारा विचारणीय मुद्दे के रूप में बनाया गया है ताकि पार्टियों के साथ अपूरणीय अन्याय को रोका जा सके। व्यापारिक परिचालन को खत्म नहीं किया जाएगा और बैंकिंग लेनदेन की प्रभावशीलता में लोगों का विश्वास कम नहीं किया जाएगा या अविश्वास में नहीं लाया जाएगा। इसलिए, सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने विशेष इक्विटी या धोखाधड़ी के सबूत के जरिए अपूरणीय क्षति का कोई मामला बनाया है ताकि पहले प्रतिवादी को बैंक गारंटी भुनाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के माध्यम से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सके। उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने भी कोई दावा नहीं किया है। हमने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के साथ-साथ पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। तथ्यों पर गौर करें तो हमें नहीं लगता कि धोखाधड़ी का कोई मामला बनता है।' तर्क यह है कि भवनों के निर्माण और अतिरिक्त मकानों के आवंटन के लिए समय बढ़ाने के वादे और बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। यह धोखाधड़ी का मामला नहीं है बल्कि अनुबंध की शर्तों पर काम करने का मामला है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जी. नागेश्वर राव ने अगली दलील दी कि जब तक देय और देय राशि का निर्धारण किसी सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा केवल बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र के माध्यम से नहीं किया जाता है, यह दलील देते हुए कि राशि देय है याचिकाकर्ता, जो विवादित था, को किसी मामले में देय नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने अभी तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है और जब तक मुकदमे के बाद कोई निष्कर्ष या अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता कि याचिकाकर्ता द्वारा राशि देय और देय है, तब तक इसे देय नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा देने से इनकार करके कानून की स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाया है। हमें विवाद में कोई ताकत नहीं दिखती. बैंक गारंटी के अनुबंध की सभी धाराओं को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। बैंक गारंटी/साख पत्र बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध है। यह उस व्यक्ति और लाभार्थी के बीच विवाद के परिणाम पर निर्भर नहीं करता है जिसकी ओर से बैंक ने बैंक गारंटी दी थी। हालाँकि इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा **हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम जी.एस. अटवाल एंड कंपनी (इंजीनियर्स) प्राइवेट लिमिटेड** मामले में इसका संक्षेप में उत्तर दिया गया था।

लिमिटेड इस न्यायालय ने भाग 6 में माना था कि पूरा विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित था। क्या, और यदि हां, तो अपीलकर्ता को देय राशि क्या है, इसका निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही में किया जाना था। विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि दावा की गई राशि देय नहीं थी और ऐसा नहीं कहा जा सकता है और बैंक ने अपीलकर्ता को बिना शर्त गारंटी देकर प्रतिवादी और बैंक के बीच समझ का उल्लंघन किया है। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि बैंक ने एक मानक रूप में गारंटी जारी की थी, जिसमें प्रतिवादी और बैंक के बीच सहमति से कहीं अधिक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था और यह मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता किसी भी तरह से बिना शर्त बैंक का आह्वान करने में बंधा हुआ है। गारंटी। इसी प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश का तर्क है कि प्रदर्शन गारंटी लागू करने से पहले अपीलकर्ता को नुकसान और क्षति की मात्रा का आकलन करना चाहिए और सुनिश्चित आंकड़े का उल्लेख करना चाहिए। अपीलकर्ता को बिना शर्त गारंटी लागू करने से रोकने के लिए आगे नहीं रखा जा सकता। यह तर्क स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि अंतिम निर्णय बैंक गारंटी को लागू करने की पूर्व शर्त नहीं है और यह लाभार्थी को बैंक गारंटी लागू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का आधार नहीं है। **हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम तारापोर एंड कंपनी एंड अन्य** में, यह तर्क दिया गया था कि एक ठेकेदार के पास अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिदावा था; विवादों को मध्यस्थ के पास भेजा गया था और मध्यस्थ द्वारा निर्णय घोषित करने तक ठेकेदार द्वारा अपीलकर्ता को कोई राशि देय या देय नहीं बताई गई थी। उसमें यह तर्क दिया गया था कि वे असाधारण परिस्थितियाँ थीं जो अपीलकर्ता को बैंक गारंटी लागू करने से रोककर हस्तक्षेप को उचित ठहराती थीं। उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटी लागू करने पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी। उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए और उसे पलटते हुए, पैरा 23 में कहा गया है कि एक बैंक को अदालतों के हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों या विशेष इक्विटी ने मामले में दलील दी कि इस सवाल पर गंभीर विवाद था कि अनुबंध का उल्लंघन किसने किया है और क्या मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार घोषित करने तक ठेकेदार द्वारा अपीलकर्ता को राशि देय है या नहीं। /अपीलकर्ता को बैंक गारंटी लागू करने से रोककर हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए मामले को असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए, निषेधाज्ञा का आदेश कुछ

निर्देशों के साथ सुरक्षित रखा गया था, जिनसे हमारा इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है।"

(22) उन्होंने **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम तारापोर एंड कंपनी और अन्य8** के मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"14. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर बैंक गारंटी लागू करने से रोककर भी गंभीर गलती की कि भारत में नुकसान के रूप में केवल उचित राशि ही दी जा सकती है, भले ही अनुबंध के पक्षकारों ने परिसमाप्त नुकसान के लिए प्रावधान किया हो और एक शर्त अनुबंध के उल्लंघन और हानि या क्षति की सीमा के सवाल पर लाभार्थी को एकमात्र न्यायाधीश बनाने की बैंक गारंटी अमान्य होगी और किसी भी राशि को तब तक देय नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस संबंध में किसी मध्यस्थ की अदालत द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। , के रूप में मामला हो सकता है। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सही स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है कि बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है और अंतर्निहित लेनदेन और उस व्यक्ति के बीच प्राथमिक अनुबंध द्वारा योग्य नहीं है जिसके उदाहरण पर बैंक गारंटी है दिया गया और लाभार्थी। उच्च न्यायालय ने जो कहा है वह केवल अंतर्निहित लेनदेन या प्राथमिक अनुबंध के पक्षों पर लागू होगा, लेकिन बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि बैंक और लाभार्थी के बीच लेनदेन स्वतंत्र और अलग है। प्रकृति। बिना शर्त बैंक गारंटी के मामले में बैंक के दायित्व की प्रकृति पूर्ण है और यह उस पक्ष और लाभार्थी के बीच किसी विवाद या कार्यवाही पर निर्भर नहीं है जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई है। इस प्रकार उच्च न्यायालय बैंक गारंटी के वास्तविक उद्देश्य और प्रकृति की सराहना करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने एक कार्य अनुबंध के उचित निष्पादन की गारंटी और उस अनुबंध के लिए सुरक्षा जमा के लिए दी गई गारंटी के बीच जो अंतर निकाला है, वह भी अनुचित है। उक्त अंतर उच्च न्यायालय द्वारा पार्टियों और बैंक गारंटी के बीच प्राथमिक अनुबंध और बैंक गारंटी के वास्तविक उद्देश्य और उसके तहत बैंक के दायित्व की प्रकृति के बीच अंतर की सराहना न करने की उसी भ्रांति का परिणाम प्रतीत होता है। क्या बैंक गारंटी सुरक्षा जमा या जुटाव अग्रिम या कार्यशील निधि के लिए है या अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए है, यदि यह बिना शर्त है और यदि बैंक

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

गारंटी में कोई शर्त है कि बैंक बिना किसी देरी के मांग पर भुगतान करेगा और लाभार्थी को न केवल अनुबंध के उल्लंघन के प्रश्न पर, बल्कि हानि या क्षति की राशि के संबंध में भी, बैंक का दायित्व वही रहेगा और उस दायित्व को बैंक गारंटी में प्रदान किए गए तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। . **जनरल इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी इंक बनाम पुंज संस लिमिटेड** में, मोबिलाइजेशन एडवांस हासिल करने के लिए दी गई बैंक गारंटी के एक मामले से निपटते समय यह माना गया है कि चालू बिलों के तहत कुछ राशि वसूलने के ठेकेदार के अधिकार की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। बैंक द्वारा दी गई गारंटी के तहत उसकी देनदारी।- उस मामले में भी बैंक गारंटी में शर्त यह थी कि बैंक को बिना किसी आपत्ति के मांग पर भुगतान करना होगा और लाभार्थी को होने वाले नुकसान या क्षति के संबंध में एकमात्र न्यायाधीश होना था। इस न्यायालय ने माना कि ठेकेदार और अनुबंध देने वाली पार्टी के बीच विवाद के बावजूद, बैंक बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य था। **लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम। जी.एस. अटवाल एंड कंपनी (इंजीनियर्स) प्रा. लिमिटेड** में कार्य अनुबंधों के मामले भी थे जिनमें बैंक गारंटी या तो अग्रिम या सुरक्षा जमा जारी करने या अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए दी गई थी। उन दोनों मामलों में इस न्यायालय ने माना कि बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है और चूंकि लाभार्थी को अनुबंध के प्रदर्शन के उल्लंघन और हानि या क्षति की सीमा के सवाल पर एकमात्र न्यायाधीश बनाया गया था, इसलिए लाभार्थी को बैंक का आह्वान करने से रोक दिया गया था। गारंटी नहीं दी जा सकती थी. इस न्यायालय के उपर्युक्त तीन बाद के निर्णयों से यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है।

xxx xxx xxx xxx

"23. इसलिए, हमारी राय है कि कानून की सही स्थिति यह है कि बैंकों की प्रतिबद्धता को अदालतों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए और यह केवल असाधारण मामलों में ही होता है, यानी धोखाधड़ी के मामले में या किसी मामले में। यदि बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दी गई तो अपूरणीय अन्याय होगा, वहां अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया है और. ठेकेदार/प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निषेधाज्ञा से

राहत की मांग इस आधार पर की गई थी कि विशेष इक्विटी या मामले की विशेष परिस्थितियों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इस मामले में जिन विशेष परिस्थितियों और/या विशेष समानताओं की वकालत की गई है, वे यह हैं कि इस सवाल पर गंभीर विवाद है कि अनुबंध का उल्लंघन किसने किया है, कि ठेकेदार के पास अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिदावा है, कि किसके बीच विवाद हैं पार्टियों को मध्यस्थों के पास भेजा गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक मध्यस्थ अपना निर्णय घोषित नहीं कर देते, तब तक ठेकेदार द्वारा अपीलकर्ता को कोई राशि देय नहीं होगी। हमारी राय में, ये कारक इस मामले को अपीलकर्ता को बैंक गारंटी लागू करने से रोककर हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाला एक असाधारण मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(23) उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने **द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य** 9 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया है।

(24) प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने दिनांक 05.04.2017 के एक पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित नहीं किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से देरी के कथित कारणों का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है विशेष रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 को सूचित किया गया था कि 17.02.2017 को, ऑनशोर कॉन्ट्रैक्टर के साइट कार्मिक और काम के लिए लगे अन्य कार्मिक साइट छोड़कर चले गए और तब से काम करने के लिए वापस नहीं आए हैं और ऑनशोर कॉन्ट्रैक्टर ने साइट से उपकरण हटा दिए हैं। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उचित प्राधिकरण के बिना, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पार्टियों के बीच दर्ज किए गए विभिन्न अनुबंधों के संदर्भ में अनुबंध का अपना हिस्सा नहीं निभा रहा था।

(25) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की है।

(26) यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता काम पूरा होने की तारीख बनाए रखने में विफल रहा है और वित्तीय संकट के कारण समझौते के विलेख में प्रवेश करना पड़ा और प्रतिवादी नंबर 1 ने दोनों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर आगे बढ़ा दिए थे। तटवर्ती और अपतटीय कार्य, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने आगे की अग्रिम भुगतान गारंटी प्रस्तुत की थी। जहां तक अव्यक्त दोषों से संबंधित मुद्दे का

आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वी. कैविटे जैव ईंधन प्रोड्यूसर्स इंक. और अन्य (राकेश कुमार जैन, जे.)

सवाल है, अनुबंध के पक्षों के बीच विभिन्न पत्राचार थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय नहीं लिया, लेकिन दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 का कहना है कि याचिकाकर्ता ने 17.02.2017 को काम पूरा किए बिना अपने सभी कर्मियों को साइट से हटा लिया था, हालांकि कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.11.2016 थी।

(27) अंतरिम रोक के चरण में, यह न्यायालय आरोपों और प्रत्यारोपों के इस क्षेत्र में नहीं जाएगा क्योंकि यह साक्ष्य का मामला होगा और केवल मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा लेकिन तथ्य यह है कि बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय थी और बिना शर्त, जिन्हें प्रतिवादी नंबर 1 के पूछने पर लागू किया जाना था और भुनाया जाना था, लेकिन सामान्य नियम के चार अपवाद हैं, जिनका एस्सार प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, कि न्यायालय निषेधाज्ञा दे सकता है बैंक गारंटी के आह्वान पर रोक लगाना यदि; (i) बैंक गारंटी के संबंध में गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी हुई है जो ऐसी गारंटी की नींव को ख़राब कर देगी और लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी का लाभ उठाना चाहता है; (ii) आवेदक, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला स्थापित करता है; (iii) आवेदक इस प्रकार की असाधारण या विशेष इक्विटी स्थापित करने में सक्षम है जो अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा; और (iv) बैंक गारंटी को उसकी शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और गारंटी की शर्तों के तहत उसे लागू करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है।

(28) सामान्य नियम के रूप में, निषेधाज्ञा नहीं दी जानी है, इसलिए, न्यायालय ने उपरोक्त चार अपवादों को तैयार किया है और अपवादों में, धोखाधड़ी के मामले में इसे "गंभीर" कहकर विशेषणों का उपयोग किया गया है। और "इक्विटी" के मामले में, प्रयुक्त विशेषण "विशेष" है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता, जो निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, को संदेह से परे दलीलों और प्रथम दृष्टया सबूत के माध्यम से धोखाधड़ी स्थापित करनी होगी, वह भी बैंक गारंटी के संबंध में और कि लाभार्थी ऐसी धोखाधड़ी और असाधारण या विशेष इक्विटी का लाभ लेना चाहता है जो न्यायालय की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा।

(29) इस मामले में, याचिकाकर्ता ने बैंक गारंटियों के संबंध में "गंभीर" प्रकृति की किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है और अपूरणीय अन्याय या अपूरणीय क्षति का मामला भी स्थापित नहीं किया है, विशेष इक्विटी की तो बात ही

छोड़ दें। सामान्य नियम को तोड़कर निषेधाज्ञा देने के लिए संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने का उद्देश्य, जिसके अनुसार बैंक की प्रतिबद्धता को न्यायालय के हस्तक्षेप से मुक्त होना आवश्यक है, खासकर जब बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है

(30) याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने विलंबित क्षति के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और जब तक देय राशि का आकलन नहीं किया जाता है; बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती. यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता है जिस पर याचिकाकर्ता निषेधाज्ञा मांगने के उद्देश्य से भरोसा कर सकता है, अन्यथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 को बैंक गारंटी प्रदान करने का पूरा उद्देश्य अप्रासंगिक और हास्यास्पद हो जाएगा।

(31) इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी कोण से देखने पर, मुझे अंतरिम रोक के उद्देश्य से वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और इसलिए, इसे बिना किसी आदेश के लागत के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

संगीता ट्रांस्लेटर